रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 1987/वैशाख 3, 1909
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 1987/VAISAKHA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं. 174/87-सीमा शुल्क

का. आ. 417(अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य में कामराजर जिले के ग्राम अलनगुलम को भाण्डागार स्टेशन घोषित करता है।

[फा. सं. 474/12/87-सीमा शुल्क-7]

एम. मायकल, अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सी. शु. बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 23rd April, 1987

NOTIFICATION

No. 174/87-CUSTOMS

S.O. 417(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Alangulam in Kamarajar District in the State of Tamil Nadu to be a warehousing station.

[F. No. 474/12/87-CUS. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987